न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी – मनमोहन मीना आर.ए.एस.
वाद संख्या– 66/2009 पुनः दर्ज 206/2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र भगवान सहाय उम्र 61 वर्ष जाति माली निवासी नायन तह0 शाहपुरा राज0

–वादीगण

बनाम

1. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजिस्टेशन नं0 459/2005–06 तह0 शाहपुरा जिला जयपुर सचिव वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल
2. मोहनलाल
3. जगदीश प्रसाद } पि0 भगवान सहाय जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. ओमप्रकाश
5. शंकर लाल
6. लक्ष्मीनारायण } पि0 भगवान सहाय जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी रेलनगर भगवान पथ सोडाला जयपुर।
7. रामकृष्ण सैनी पुत्री भगवान सहाय जाति माली हाल निवासी खोरी रोड शाहपुरा जिला जयपुर।
8. रूकमा देवी बेवा भगवान सहास सैनी जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (नाम हजफ)
9. भूरा
10. गुल्ला
11. चौथू } पि0 सुगला जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12. बंशीधर
13. श्रवण कुमार } पि0 चौथू
14. जयराम पुत्र बाबूलाल
15. सुशीला देवी बेवा बाबूलाल
16. अर्जुनलाल पुत्र सीताराम
17. सूरज पुत्र सीताराम
18. श्रीमती गीता पत्नी सीताराम
19. प्रभूदयाल पुत्र बद्री
20. श्यामलाल पुत्र बद्री
21. समस्त जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
1. बनवारी
2. गजानन्द
3. पूरण
4. ब्रजेश } पि0 रामचन्द्र जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. श्रवणी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सरदारमल जाति माली निवासी शेखपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. मीरा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भगवान सहाय जाति माली निवासी शेखपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
'. ललीता देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी इटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
. मीना देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सुरेश चन्द जाति माली निवासी इटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
. गिगराज पुत्र हनुमान जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा
. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

परिथत–1.श्री रामकिशोर यादव, जितेन्द्र पलसानियां अधिवक्ता वादी की ओर से

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

2 श्री गिरीजाशंकर पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व 6, 7 व 8 की ओर से

निर्णय दिनांक 3/2/23

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा बाबत् बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का ायालय में दिनांक 23.06.2009 को प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि वादी वं प्रतिवादीगण अपनी सामलाती एवं संयुक्त साझेदारी की भूमि ग्राम नायन के खाता संख्या 231 वत 2063–66 कलवानियों का बास के खाता संख्या 95 व 186 संवत 2062–65 की है जिन पर ादी एक प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम नायन ो खाता संख्या 231 की भूमि में प्रतिवादीगण भूरा, गुल्ला चौथू के हिस्से की भूमि वादी एवं शेष तिवादीगण के कब्जे काश्त में हमारी अन्य भूमि के अनुसार है एवं सभी सहखातेदारों की आपसी हमति से भूरा, गुल्ला, चौथू माली ने बाहमी बंटवारे से वह भूमि हमे दे रखी है इसके बदले में हम भी ने उन्हें हमारी दूसरी भूमि दे रखी है जिस पर वे काबिज है। ग्राम कलवानियों के बास की ाता संख्या 186 संवत 2062–65 में दर्ज भूमि ख0नं0 1986 रकबा 0.62 है0 में मुझ वादी रामेश्वर 1/8 हिस्सा है एवं प्रतिवादी शंकर का 1/8 हिस्सा तथा 6/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का मुझ वादी तथा प्रतिवादी शंकरलाल पुत्र भगवान सहाय एवं प्रतिवादी संख्या 01 मनोरमा निकेतन स्थान में कभी कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ है तथा बिना सहमति से वह सम्पूर्ण भूमि पर ही ाबिज होना चाहता है। इसी नियत से प्रतिवादी संख्या 01 ने निर्माण कार्य चालू कर रखा है तथा ाता संख्या 231 ग्राम नायन संवत् 2063–66 की भूमि खसरा नंबर 2705 लगायत 2707, 2709, गा0 2714, 2718, 2798, 2803, 2805 किता 13 रकबा 2.35 है0 में से 1/8 हिस्सा है एवं 7/8 स्सा में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 08 का हिस्सा है शेष प्रतिवादीगण संख्या 09 लगायत 11 ा, गुल्ला, चौथू ने उक्त भूमि में अपने हिस्से के बदले में शेष खातेदारान से अन्य भूमि ले रखी हैं। ा खाता संख्या 95 ग्राम कलवानियों का बास 1/3 हिस्से में मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व के पिता/पति भगवान सहाय के नाम हिस्सा में है शेष 2/3 हिस्से में अन्य प्रतिवादीगण संख्या लगायत 29 का नाम दर्ज है इस प्रकार इस भूमि में वादी का 1/24 हिस्सा है वादी तथा तेवादी संख्या 2 लगा0 8 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का सचिव वेदप्रकाश एक ही परिवार के सदस्य हमारे आपसी पारिवारीक कारणों से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 8 ने वादी के विरूद्ध एक ठन बना रखा है जो वादी को इसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर चाहते है। इसलिए वादी को भूमि का कानूनी बंटवारा करवाये जाने एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द ाया जाना आवश्यक हुआ है। जिसके लिए वादी ने अन्दर मियाद तथा उचित न्याय शुल्क पर ा न्यायालय में पेश किया। इस्तदुआ चाही की भूमि जिमन नंबर 1,2,3 वाद पत्र का वादी तथा ादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्से अनुसार कानूनी बंटवारा करवाया जाकर वादी के हिस्से अपनी भूमि पर वादी का अलग से कब्जा करवाया जावे। तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड बनाया वे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे इत्यादि।

ा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। न्यायालय क्षेत्राधिकार से र रहने वाले प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन तामील भेजे गए। बाद तामिल प्रतिवादी ख्या 01 लगा0 04, 6,7,8 की तरफ से न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष ावादीगण बाद तामील के बावजूद न्यायालय में स्वयं तथा उनके कोई वकील उपस्थित नहीं आने उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4, 6, 7 व 8 तरफ से वादपत्र का जवाब काउण्टर क्लेम के साथ में प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त वर्णन नानुसार है। प्रतिवादीगण ने पैरानुसार जवाब प्रस्तुत किया है जहां तक खाता संख्या 231 की ये भूमि में खातेदारी भूरा, गुल्ला, चौथू के हिस्से 1/2 तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ा0 08 का हिस्सा 1/2 होने का कथन किया है उसमें भूरा, गुल्ला, चौथू का नाम केवल राजस्व ॉर्ड में इन्द्राज से दुरूस्त नही होने के कारण है जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार उक्त खाता ख्या 231 की भूमि से प्रतिवादी संख्या 9,10,11 का 1/2 हिस्सा की भूमि के बदले में सन् 1962 में ी, प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 8 तथा प्रति0 संख्या 9,10,11 के पूर्वजों ने बाहमी बंटवारे अनुसार ाला के परिवार को ढेर की जमीन दी गयी थी ढेर की जमीन वादी तथा प्रतिवादीगण की संयुक्त क कृषि भूमि थी इसमें से वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 8 के पूर्वज ने अपने हिस्से की

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

मि मे से बदले में प्रति सं0 9,10,11 के पूर्वज सुगला को दी गई थी तथा स्व0 सुगला एवं उसके रिवारजन ने पैतृक भूमि नुदाला की भूमि के 1/2 हिस्से हक को वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 गा0 8 के पूर्वज भगवान सहाय को दी गई थी। इस प्रकार ढेर की जमीन प्रतिवादी संख्या ,10,11 व नूदाला की भूमि भगवान सहाय जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 7 के पिता है, के पास पारिवारीक समझौते अनुसार रही। इस प्रकार नुदाला की भूमि आ0ख0नं0 2705 लगा0 707, 2709, 2710 लगा0 2714, 2716, 2798, 2803, 2805 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 वाकै ाम नायन पटवार हल्का नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की सम्पूर्ण भूमि भगवान सहाय त्पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 8 के पास कब्जा काश्त में है जिस पर निरन्तर ान्तिपूर्वक काबिज काश्त कर रहे है। इस नूदाला की भूमि में प्रतिवादीगण स0 9,10,11 का कोई ेना देना नहीं है। ढेर की भूमि जो प्रतिवादी सं0 9,10,11 को नूदाला की 1/2 हिस्से भूमि के दले में आ0ख0नं0 1517/0.48, 1531/0.36, 1532/0.37 कुल किता 3 रकबा 1.21 है। दी गयी जसमें से कुछ भूमि प्रतिवादी सं0 9,10,11 ने दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया।

यह है कि आ0ख0नं0 1986/0.62 हे0 भूमि से वादी का कोई लेना देना नहीं है। यह भूमि ाईयों के आपसी समझौते से प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल के हिस्से में आयी है जिसमें प्रतिवादी ख्या 2 मोहनलाल का लडका वेदप्रकाश ने मनोरमा शिक्षण संस्था संचालित कर रखा हे जो तिवादी सं0 1 है तथा प्रति0सं0 2 लगा0 4,6,7 व 8 ने बिना किसी प्रतिफल के शिक्षण संस्थान संचालन बाबत वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल के नाम हस्तानान्तरित की हुई है। भाईयों के आपसी समझौते से वादी को खसरा नं0 1609 रकबा 1.08 है0 में 1/3 हिस्सा डेरा की कृषि भूमि दी गई । आडागेला की अधिक किमती भूमि ख0नं0 1525 मेन रोड पर जिसमे वादी मकान बनाकर निवास र रखा है यह भी वादी को दे रखी है वादी ने तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्या बनावटी आधारों पर ादपत्र पेश किया हे जो खारिज किये जाने योग्य है।

यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4,6,7 व 8 ने अपने काउण्टर क्लेम में कहा है कि ादी ने प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 व 12 लगा0 29 से दुरभि सन्धि कर रखा है जिससे उक्त क्षकारान प्रतिवादी संख्या 2 लगा 08 को उनके हक अधिकार की आराजी से वंचित कर सके। र्ता संख्या 231 नया 238 के खसरा नंबर 2705 लगा0 2707, 2709, 2710 लगा0 2714, 2716, 798, 2803, 2805 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 वाकै ग्राम नायन पटवार हल्का नायन तह0 ाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।इस आराजी की वर्तमान खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 मि 8 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 9,10,11 भूरा, गुल्ला, चौथू पिसरान स्व0 सुगला हिस्सा /2 इन्द्राज है। किन्तु वास्तविक स्थिति के अनुसार प्रतिवादी सं0 9,10,11 का इन्द्राज केवल ागजी तौर पर है। इस भूमि से प्रति0 सं0 9,10,11 का कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9,10,11 हमारे पूर्वजों के परिवार से है सन 1962 में तत्समय के बाहमी बंटवारे अनुसार उक्त वर्णित राजी हिस्सा 1/2 के बदले में प्रति0 सं0 9,10,11 के पूर्वज सुगला को ढेर की जमीन दी गयी थी था नूदाला कुंए की अपने हिस्से 1/2 की भूमि प्रतिवादी सं0 2 लगा0 8 वादी के पूर्वज भगवान हाय को दी थी। इस प्रकार नूदाला कुए की उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी रकबा 2.35 है0 भूमि पर न 1962 में किये गये बाहमी बंटवारे के अनुसार भगवान सहाय के हिस्से में रहती चली आ रही । इस भूमि से प्रतिवादी संख्या 9,10,11 का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रति0 सं0 9,10,11 ढेर की मि आ0ख0नं0 1517,1531,1532 पर काबिज काश्त है। नुदाला की भूमि का अधिकांश भाग टीबों ौर नालों के रूप में असिंचित व बारानी बंजड भूमि थी। जिसको सन 1972 से 1975 तक भगवान हाय द्वारा लाखों रूपये खर्च करके समतल व उपजाउ व कृषि योग्य बनाया तथा कुआं बनवाया ा व कृषि विद्युत कनेक्शन लगवाया था। इसमें सुगला व इसके वारिसान प्रति0 सं0 9,10,11 का ोई वास्ता या सरोकार नहीं रहा है। नूदाला कुए की सम्पूर्ण आराजी रकबा 2.35 है0 पर वादी तथा ति0 सं0 2 लगा0 8 के द्वारा काश्त की जा रही है। जब तक भगवान सहाय जीवित था तब तक सके द्वारा कब्जे काश्त अधिकार पूर्वक की जाती रही है। तथा इन प्रतिवादीगण द्वारा समस्त भूमि र जन्म से निरन्तर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त वर्तमान तक करते चले आने व काश्त ाबिज होने के कारण भी प्रति0सं0 9,10,11 के 1/2 हिस्से के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के आधार र भी खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों के ध्येनजर मिन प्रतिवादीगण खातेदारी हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण ने अपने काउण्टर क्लेम में आगे कहा है कि वादी द्वारा पैतृक कृषि भूमि से स्वयं का इक हिस्सा प्राप्त किये जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 9 लगा0 11 से मिलकर खाता संख्या 231 नया 238 की भूमि के संबंध में अकेले स्वयं का हक अधिकार कथित करने एवं मिथ्या आधारों पर बंटवारा का वाद प्रस्तुत करने के कारण वाद पत्र कानूनन मेन्टेबल नहीं है। किन्तु वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 के काल्युजन एवं वादी द्वारा दायर किये गये वादपत्र के तथ्यों के मध्यनजर प्रतिवादीगण 2 लगा0 4, 6,7,8 का काउण्टर क्लेम मेन्टेबल है।

अन्त में प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4 6,7 व 8 ने काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि खाता संख्या 231 नया 238 खसरा नंबर 2705 लगा0 2707, 2709, 2710 लगा0 2714, 2716, 2798, 2803, 2805 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 वाकै ग्राम नायन पटवार हल्का नायन तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 9,10,11 के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 का इन्द्राज दुरूस्त करके उक्त हिस्से की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तथा विशेष विवरण में कहा है कि वादी ने पूर्व में हुए पारिवारीक बंटवारे के तथ्यों को छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। वादी ने जबाबुल जवाब प्रस्तुत किया एवं इन के अवलोकन से निम्न तनकीयात कायम की गई –

1. आयावादी वादपत्र की खण्ड संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजी का बंटवारा करवाये जाने का अधिकारी है ? वादी
2. आयावादी वादपत्र की खण्ड संख्या 4 में अंकित तथ्यों के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार है ? वादी
3. आया प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 8 व वादी ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके तहत वादी को उसके हिस्से की भूमि आराजी खसरा नंबर 1609/1.08 है0 स्थित कलवानियों का बास नायन में हिस्सा 1/3 रकबा 0.36 है0 भूमि दे रखी है जिस पर वर्तमान में वादी काबिज है ? प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 8
4. आया प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4,6,7व8 के काउण्टर क्लेम की खण्ड संख्या 2 व 3 में अंकित आराजी खाता संख्या 231 नया खाता संख्या 238 की कुल आराजी 2.35 है0 में अपने हिस्से 1/2 की भूमि के अलावा शेष 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदारी अधिकार जवाब दावे व काउण्टर क्लेम में अंकित तथ्यों के आधार पर अपने नाम करवाने के अधिकारी है ? प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4,6,7,8

दादरसी

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4, 6,7 की ओर से लिखित राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 की एक्स–पाल्टी हो चुकी है। तथा प्रतिबादीगण संख्या 8 फौत हो चुकी है जिसके नाम हजफ करने का प्रार्थना–पत्र भी वादी की तरफ से पेश किया गया है जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। वादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 2,3,6,7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये तथा मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये इनकी पहचान इनके वकीलों ने की। प्रतिवादी संख्या 4 ओमप्रकाश जरिये वकील हाजिर आया। राजीनामा के मुख्य बिन्दु यह है कि खाता संख्या 231 नूदाला कुए की भूमि रकबा 2.35 है0 जिसमें 1/2 हिस्से के खातेदार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 8 है तथा 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 9,10,11 भूरा, गुल्ला, चौथू है जो कागजी तौर पर है। इस हिस्से 1/2 के बदले में प्रति0सं0 9,10,11 को ढेर की भूमि दी गई है। इसलिए इस भूमि रकबा 2.35 है0 में भूरा, गुल्ला, चौथू का कोई लेना देना नहीं है। यह सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7 की खातेदारी कब्जे काश्त की है। इसमें से वादी का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा किया जावे। इसी प्रकार आ0ख0नं0 1609 रकबा 1.08 है0 का 1/3 हिस्सा में वादी का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 7 का प्रत्येक का 1/7 हिस्सा किया जावे तथा आ0ख0नं0 1986/0.62 है0 में वादी का 1/7 हिस्सा किया जावे। राजीनामें में आगे कहा गया है कि उक्त वर्णित आराजी में वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7 प्रत्येक अपने 1/7 हिस्से की भूमि ईकजाही करने के लिए वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 घर पर बैठकर निर्णय कर लेंगे तथा अपने–2 हिस्से 1/7 की भूमि का कब्जा देने के लिए पाबन्द रहेंगे।

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर से शपथ–पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज के रूप में उक्त वर्णित आराजी की जमाबंदिया पेश की है। तथा जिरह में और राजीनामें में प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4,6,7,8 के द्वारा पेश काउण्टर क्लेम न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर किसी प्रकार का एतराज नहीं होने की बात कही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने शपथ–पत्र में राजीनामा के अनुसार दावा व काउण्टर क्लेम डिकी किया जाता है तो किसी प्रकार का एतराज नहीं होने की बात का उल्लेख किया है जिसको न्यायालय में पेश किया है।

प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4,6,7,8 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के पक्ष में डीडब्ल्यू 1 मोहनलाल जो प्रतिवादी संख्या 2 है, डीडब्ल्यू 2 रामचन्द पुत्र रूडाराम व डीडब्ल्यू 3 मुक्तिलाल खाती पुत्र हनुमान सहाय खाती का शपथ–पत्र गवाह के रूप में पेश किये है तथा दस्तावेजात प्रदर्श डी 1 बही की लिखावट, प्रदर्श डी 2 कृषि विद्युत कनेक्शन का फॉर्म 1 से 6 नंबर तक, प्रदर्श डी 3 प्रार्थना–पत्र लाईन खिंचवाने को दीये, प्रदर्श डी 4 विद्युत विभाग का एग्रीमेण्ट, प्रदर्श डी 5 से डी 11 विद्युत के बिल, प्रदर्श डी 12 से डी 17 विद्युत के बिल, प्रदर्श डी 18 रसीद विद्युत विभाग की, प्रदर्श डी 19 से डी 33 लगान की रसीदें तथा प्रदर्श डी 24 जमाबंदी संवत 2067–2070 की नूदाला कुए की जमीन की पेश कि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा के पक्ष में शपथ–पत्र पेश किया है।

वादी के वकील ने बहस में बताया कि दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया है जो दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ है वह राजीनामा में लिखा गया है तथा दोनों पक्ष अपने–2 हिस्से 1/7 की भूमि इकजाही घर पर बैठकर कर लेंगे तथा कब्जा सम्भला देंगे। इसके लिए दोनों पक्ष पाबंद रहेंगे। दोनों पक्षों ने न्यायालय में लिखित में पेश कर दिया है दावा वादी राजीनामा अनुसार डिकी किया जावे। इसमें यह भी कहा हे की नूदाला कुंए की जमीन रकबा 2.35 है0 है इसमें भूरा, गुल्ला, चौथू पि0 सुगला का कोई लेना देना नहीं है। सन 1962 में हमारे पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा हुआ था उसमें सुगला को नूदाला कुए की भूमि में हिस्से 1/2 के बदले में ढेर की जमीन दे दी गई थी जबसे सुगला व उसके वारिस प्रतिवादी सं0 9,10,11 उसी पर काबिज है नूदाला की सम्पूर्ण भूमि रकबा 2.35 है0 पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 7 काबिज रहकर काश्त कर रहे है। इसीलिए काउण्टर क्लेम स्वीकार करके तथा इसमें वादी का 1/7 हिस्सा भूमि देकर प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 के पक्ष में किया जाता है तो वादी को किसी प्रकार का एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4,6,78 के वकील ने बहस में बताया की वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 7 के मध्य राजीनामा हो गया हे अगर राजीनामा के अनुसार दावा डिकी किया जाता हे तो हमें कोई एतराज नहीं है तथा काउण्टर क्लेम के पक्ष में बहस में बताया की वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज एक ही है। हमारी सामलाती पैतृक कृषि भूमि अनेक जगह पर है। सन 1962 में कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर हमारे पूर्वजों ने बाहमी बंटवारा किया था उसके अनुसार नूदाला कुएं की भूमि कुल रकबा 2.35 हे0 जो काउण्टर क्लेम के पैरा नंबर 2 में वर्णित हे , का राजस्व रिकॉर्ड वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 8 हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी सं0 9,10,11 का हिस्सा 1/2 के नाम से हे। प्रतिवादी संख्या 9,10,11 के हिस्से 1/2 के बदले में भूमि ढेर की तथा नूदाला कुंए की सम्पूर्ण भूमि 2.35 है0 भगवान सहाय को दी गई थी। सन 1962 में पूर्वजों द्वारा किये गये बाहमी बंटवारे से प्रतिवादी सं0 9,10,11 कानूनी रूप से भी पाबन्द है।

जब से नूदाला की उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी भगवानसहाय तथा अब इसके वारिसान वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 अधिकार पूर्वक बोते जोतते आ रहे है। बाहमी बंटवारे के बाद से आज तक भी प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 या इनके पूर्वजों ने कभी कोई ऐतराज नहीं किया है प्रतिवादी सं0 2 लगा0 8 ने काउण्टर क्लेम के पक्ष में प्रासंगिक दस्तावेज भी पेश किये है प्रदर्श डी 1 जो बही के लिखावट है इसमें भी नूदाला की भूमि भगवानसहाय के हिस्से में होने की बात लिखी है। जिस पर प्रतिवादी सं0 9,10,11 के पूर्वज सुगला की अंगूठा निशानी है। साथ ही चौथमल, बद्रीनारायण के साथ–साथ दीगर व्यक्तियों की अंगूठा निशानी तथा हस्ताक्षर है। जो बैसाख सुदी 12 संवत 2024 दिनांक 21/05/1967 को लिखी गयी है। तथा प्रदर्श डी 2 जो कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए फार्म 6 पेज का है में भी भगवान सहाय पुत्र बलेदव के नाम से ही है इसमें नूदाला/नूनावाला लिखा गया है जो 28/6/1971 का है इसी प्रकार प्रदर्श डी 3 व डी 4 दस्तावेजों में भी भगवान सहाय पुत्र बलदेव का ही नाम है जो सभी नुदाला कुए में विद्युत कनेक्शन से संबंधित पत्रावली के है। इसी प्रकार कृषि विद्युत खर्चे के बिलों में भी भगवानसहाय पुत्र बलदेव का नाम तथा नूनावाला ही लिखा हुआ है। प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 ने लगान की रसीदे भी पेश कि है जो भगवानसहाय पुत्र बलदेव के नाम ही है। उक्त वर्णित सभी दस्तावेजों प्रदर्श डी 2 से प्रदर्श

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

23 तक के दस्तावेजों में कही पर भी सुगला का नाम नहीं है। केवल भगवान सहाय पुत्र बलदेव का ही नाम है साथ ही कुए का नाम नूदाला लिखा हुआ है।

जहां तक बही लिखावट की बात है उसमें प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 के पिता स्व0 सुगला की अंगूठा निशानी है। अगर नूदाला कुएं की जमीन पहले 1962 में बाहमी बंटवारे से जो भगवानसहाय को दी गयी थी अगर उस समय नहीं दी गयी होती तो वह इस पर अपनी अंगूठा निशानी नहीं करता तथा लिखावट का विरोध करता। परन्तु सुगला ने लिखावट सही होना मानते हुए अपनी अंगूठा निशानी लगायी है। तथा अगर सुगला नूदाला की आराजी बोता तो उसका नाम कृषि विद्युत कनेक्शन की पत्रावली में भी आता या जमीन के लगान की रसीदों में भी आता अगर माना जाये कि शुरू में नही लिखा तो बाद में विद्युत बिलों में कही पर नाम अवश्य आता परन्तु ऐसा नहीं है। शरू के दस्तावेजों या बाद के दस्तावेजों में कही पर भी सुगला का नाम नहीं आया। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि नूदाला की भूमि रकबा 2.35 है0 के 1/2 हिस्से के बदले में सुगला को ढेर की भूमि दी गई थी जिसका खसरा नम्बर 1517, 1531, 1532 है। आगे प्रतिवादी सं0 2–8 के वकील ने बताया कि प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल ने अपने बयान शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 में भी उक्त बातों का उल्लेख किया है तथा जिरह में भी उक्त बाते बतायी है। गवाह डीडब्ल्यू 2 रामचन्द्र सैनी पुत्र श्री रूडाराम माली ने भी प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4,6,7,8 के द्वारा काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की है। जिरह में बताया है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज दादा एक ही परिवार के थे। बंटवारा आज से करीब 60 वर्ष पूर्व हमारी ढाणी बीड वाली में ही बैठकर किया था जिसमें हमारे पूर्वज सभी शामिल थे सुगला, मेरे पिताजी, दादाजी तथा वादी प्रतिवादी सं0 2 से 7 के पिता भगवान सहाय भी मौजूद थे तथा गांव के प्रमुख लोग भी मौजूद थे। फैसला किया था कि नूदावाला कुआं की जमीन जो करीब साढे नौ बीघा पक्की है को सम्पूर्ण भूमि भगवान सहाय को दी थी। सुगला का नूदाला की 1/2 जमीन के बदले ढेर की जमीन दी थी। वर्तमान में इस ढेर की जमीन में रहने के लिए मकान भी बना रखे हैं जिसमें प्रतिवादी सं0 9, 10, 11 के वारिसान तथा स्वयं रहते हैं। नूदाला कुएं की जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार गवाह डी 3 मुक्तिलाल पुत्र हनुमान ने अपने बयानो में कहा है कि सन् 1973–74 में नूदाला की जमीन को मेरे टेक्ट्रर से समतल की गई थी तथा एक कुआं मेरे पिताजी हनुमान खाती ने बनाया था जमीन साफ और समतल करने तथा कुआं बनाने के पैसे भगवान सहाय ने दिये थे। इस जमीन को नूदाला कुएं के नाम से जाना जाता है तथा मैने तो शुरू से इस भूमि को भगवान सहाय के द्वारा बोते जोतते देखा है। इनके मरने के बाद इसके वारिसान लडके बोते जोत रहे है। इस भूमि में भूरा, गुल्ला, चौथू पुत्र सुगला का कोई अधिकार नहीं है। भूरा, गुल्ला, चौथू की जमीन ढेर की है इस नूदाला की जमीन से कोई लेना देना नहीं है।

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4,6,7,8 के वकील ने बहस में आगे बताया कि सन् 1962 के हमारे पूर्वजों जिसमें भगवान सहाय , सुगला, गवाह डीडब्ल्यू 2 के पिता व दादा भी उपस्थित थे के द्वारा किये गये बाहमी बंटवारा जिसमें नूदाला कुएं की जमीन हाल ख.नं. 2705 लगा0 2707, 2709 लगा0 2711, 2716, 2798, 2803, 2805 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 में प्रतिवादी सं0 9, 10, 11 के पूर्वज सुगला के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा भूमि थी वह भगवानसहाय जो प्रतिवादी सं0 2 से 8 वादी का पूर्वज है को दी गयी तथा सुगला को इसके बदले में ढेर की जमीन दी गई थी किए जाने का तथ्य बही में लिखावट तथा पेश किये गये अन्य दस्तावेजात जो प्रदर्श 1 से 23 तक है से स्पष्ट प्रकट होता है। इसीलिए प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4,6,7,8 के द्वारा पेश किया गया काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4,6,7,8 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा उनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों का गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर समस्त तथ्यों के अवलोकन व विश्लेषण के पश्चात वादपत्र तथा काउन्टर क्लेम का निर्णय तनकीवार निम्नप्रकार किया जाता है। तनकी नं0 1,2 व 3 वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4, 6, 7 के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने राजीनामों के पक्ष में शपथपत्र प्रस्तुत किया है। राजीनामा के मुताबिक ये तीनों तनकीयात एक साथ निर्णित की जाती है। राजीनामें के अनुसार आराजी ख.नं0 2705/0.10, 2706/0.16, 2707/0.07, 2709/0.19, 2710/0.29, 2711/0.07, 2712/0.07, 2713/0.04, 2714/0.08, 2716/0.19, 2798/0.45, 2803/0.33, 2805/0.35 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 वाकै ग्राम नायन तह0 शाहपुरा के 1/2 हिस्सा में से 1/7 हिस्सा भूमि तथा खसरा नम्बर 1986/.62 है0 में से हिस्सा 1/7 की भूमि व खसरा नम्बर 1609 रकबा 1.08 है0 में हिस्सा 1/3 में से 1/7 हिस्सा भूमि को प्राप्त करने का वादी अधिकारी होगा खसरा नम्बर 1986 व 1609 ग्राम कलवानियों के बास में स्थित हे साथ ही काउण्टर क्लेम के अनुतोष में वर्णित आराजी में भी वादी 1/7 हिस्सा भूमि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

वादी व प्रतिवादीगण 2 लगा0 7 प्रत्येक के 1/7 हिस्से की भूमि को इकजाही करने के लिए वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 7 घर बैठकर निर्णय कर लेंगे व इसके लिए पाबंद रहेंगे।

तनकी नं0 4 प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 4,6,7 को यह तनकी साबित करनी है प्रति0 सं0 2 लगा0 4,6,7 ने तनकी साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से प्रदर्श डी 24 पेश किये गये है तथा प्रतिवादी सं0 2 मोहनलाल ने न्यायालय में बयान शपथपत्र पेश किया है तथा अन्य गवाह डीडब्लयू 2 रामचन्द्र पुत्र रूडाराम व डीडब्लयू 3 मुक्तिलाल के बयान न्यायालय में करवाये है। मोहनलाल ने बयानों में बताया की सन् 1962 में हमारे पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा किया गया था जिसमें नूदाला कुए की सम्पूर्ण आराजी कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 भूमि मेरे पिता भगवान सहाय को दी गई थी तथा सुगला को नूदाला में उनके हिस्से 1/2 की भूमि के बदले में ढेर की जमीन दी गई थी। इस बाहमी बंटवारे के बाद से नूदाला की भूमि में सुगला तथा इसके वारिसान प्रति0सं0 9,10,11 का कोई लेना देना शेष नहीं रहा है। भूरा, गुल्ला, चौथू पुत्र सुगला व वादी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज एक ही परिवार के है तथा नूदाला की भूमि अधिकांश उबड–खाबड, बंजड व टीबों की थी जिसको मुक्तिलाल के टेक्ट्रर से समतल करवायी थी तथा कुआं भी बनवाया था इन सभी का खर्चा भगवान सहाय ने किया था तथा कुएं पर बिजली लगाने की फाईल तथा विद्युत बिलों व लगान की रसीदें भी भगवान सहायक पुत्र बलदेव के नाम से ही है इसमें सुगला या इसके वारिसान प्रति0सं0 9,10,11 का नाम नहीं है तथा एक बही मे लिखावट है जिसमें नूदाला की भूमि सम्पूर्ण भगवान सहाय बोते रहेंगे लिखा है। इस लिखावट पर भी सुगला के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी है। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लिखावट के तथ्यों के लिए सुगला ने अपनी सहमति व स्वीकृति दी है। गवाह डीडब्लयू 2 रामचन्द्र पुत्र रूडा ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि नूदाला की सम्पूर्ण भूमि जो 9.5 बीघा पक्की है भगवान सहाय को दी गई थी तथा सुगला को ढेर की भूमि दी थी। इस प्रकार गवाह डीडब्लयू 1, डीडब्लयू 2 डीडब्लयू 3 के बयानों तथा पेश किये गये दस्तावेज प्रदर्श डी 1, बही की लिखावटी व अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने से यह साबित होता है कि सन् 1962 में बाहमी बंटवारे में आराजी ख.नं0 2705 लगा0 2707, 2709 लगा0 2714, 2716, 2798, 2803, 2805 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 भूमि जो नूदाला कुएं की भूमि से जानी जाती है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 9, 10, 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में है भगवान सहाय को दी थी और उसके बदले में सुगला को ढेर की जमीन दी गयी थी इस प्रकार अब कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 सम्पूर्ण भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 7 ही काबिज काश्त कर रहे हैं तथा इनके हक अधिकार की है। इस प्रकार तनकी नं0 4 प्रतिवादी सं0 2 से 4 , 6 व 7 के पक्ष में होना साबित होती है।

अतः मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 , 6 व 7 के मुताबिक तथा तनकी ंबर 4 प्रतिवादी सं0 2 से 4, 6 व 7 के पक्ष में निर्णित की जाकर नुदाला की भूमि खसरा नम्बर 705/0.10, 2706/0.16, 2707/0.07, 2709/0.19, 2710/0.29, 2711/0.07, 2712/0.03, 713/0.04, 2714/0.08, 2716/0.19, 2798/0.45, 2803/0.33, 2805/0.35 कुल किता 13 बा 2.35 है0 वाकै ग्राम नायन तह0 शाहपुरा के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 भूरा, ल्ला, चौथू पुत्र स्व0 सूगला के नाम दर्ज हिस्सा (प्रत्येक का 1/6 हिस्सा) हजब कर उनके स्थान र वादी रामेश्वर प्रसाद का हिस्सा 1/14 तथा प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 7 मोहनलाल, जगदीश साद, ओमप्रकाश, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण, रामकृष्ण का हिस्सा 6/14 (प्रत्येक का 1/14 हिस्सा) ा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज बदस्तुर राजस्व रिकार्ड रहेगा। तदानुसार जस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिक्री ारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/2/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर
A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) शाहपुरा जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी – मनमोहन मीना आर.ए.एस.
वाद संख्या– 66/2009 पुनः दर्ज 206/2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र भगवान सहाय उम्र 61 वर्ष जाति माली निवासी नायन तह0 शाहपुरा राज0
–वादीगण

बनाम

1. मनोरमा निकेतन संस्था नायन रजिस्टेशन नं0 459/2005–06 तह0 शाहपुरा जिला जयपुर सचिव वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल
2. मोहनलाल
3. जगदीश प्रसाद } पि0 भगवान सहाय जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. ओमप्रकाश
5. शंकर लाल
6. लक्ष्मीनारायण } पि0 भगवान सहाय जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी रेलनगर भगवान पथ सोडाला जयपुर।
7. रामकृष्ण सैनी पुत्री भगवान सहाय जाति माली हाल निवासी खोरी रोड शाहपुरा जिला जयपुर।
8. रूकमा देवी बेवा भगवान सहास सैनी जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (नाम हजफ)
9. भूरा
10. गुल्ला
11. चौथू } पि0 सुगला जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12. बंशीधर
13. श्रवण कुमार } पि0 चौथू
14. जयराम पुत्र बाबूलाल
15. सुशीला देवी बेवा बाबूलाल
16. अर्जुनलाल पुत्र सीताराम
17. सूरज पुत्र सीताराम
18. श्रीमती गीता पत्नी सीताराम
19. प्रभूदयाल पुत्र बद्री
20. श्यामलाल पुत्र बद्री

समस्त जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

21. बनवारी
22. गजानन्द
23. पूरण
24. ब्रजेश } पि0 रामचन्द्र जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
25. श्रवणी देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सरदारमल जाति माली निवासी शेखपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
26. मीरा देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी भगवान सहाय जाति माली निवासी शेखपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
27. ललीता देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी इटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
28. मीना देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी सुरेश चन्द जाति माली निवासी इटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
29. गिगराज पुत्र हनुमान जाति माली निवासी नायन तहसील शाहपुरा
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

Scanned with OKEN Scanner

दावा घोषणा खातेदारी, इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 3/2/23

अतः मुताबिक राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 , 6 व 7 के मुताबिक तथा तनकी नंबर 4 प्रतिवादी सं0 2 से 4, 6 व 7 के पक्ष में निर्णित की जाकर नुदाला की भूमि खसरा नम्बर 2705/0.10, 2706/0.16, 2707/0.07, 2709/0.19, 2710/0.29, 2711/0.07, 2712/0.03, 2713/0.04, 2714/0.08, 2716/0.19, 2798/0.45, 2803/0.33, 2805/0.35 कुल किता 13 रकबा 2.35 है0 वाकै ग्राम नायन तह0 शाहपुरा के 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 9,10,11 भूरा, गुल्ला, चौथू पुत्र स्व0 सूगला के नाम दर्ज हिस्सा (प्रत्येक का 1/6 हिस्सा) हजब कर उनके स्थान पर वादी रामेश्वर प्रसाद का हिस्सा 1/14 तथा प्रतिवादीगण सं0 2 लगा0 7 मोहनलाल, जगदीश प्रसाद, ओमप्रकाश, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण, रामकृष्ण का हिस्सा 6/14 (प्रत्येक का 1/14 हिस्सा) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज बदस्तुर राजस्व रिकार्ड रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिक्री जरूरी हो।

निर्णय आज तारीख 3/2/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा (जिला जयपुर.)
SHAHPURA (JAIPUR)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner